RAJYA SABHA

Friday, the 22nd April, 1994/2nd Vaisakha, 1916 (Saka)

The House met at eleven of the clock. The Deputy Chairman in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पब्लिक स्कूलों द्वारा अत्यधिक फीस लिया जाना

*361. **श्री रामजी लाल :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के प्रत्येक जिले में केन्द्रीय विद्यालय खोले हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंजीकृत पब्लिक स्कूल मनमाने ढंग से फीस में वृद्धि करते आ रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा, जो कि आवश्यक है, एक गंभीर समस्या बन चुकी है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे प्रत्येक पंजीकृत स्कूल में उनके द्वारा वसूल की जाने वाली फीस की राशि का निर्धारण करने के लिए केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय का एक लघु कार्यालय खोलने की आवश्यकता के प्रश्न की जांच की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इस समस्या का समाधान निकालने के लिये राष्ट्रीय विकास परिषद की एक बैठक आयोजित करने के संबंध में कोई पहल की है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्रीय विद्यालयों को जिलावार स्थापित नहीं किया जाता है । इन विद्यालयों को रक्षा तथा सिविल क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या, वित्तीय संसाधनों और अन्य प्रशासनिक बातों को ध्यान में रखकर प्रयोक्ता प्रायोजक अभिकरणों द्वारा किए गए प्रस्तावों की उपयुक्तता के आधार पर स्वीकृत किया जाता है ।

(ग) केन्द्रीय/राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों ने सभी के लिए पर्याप्त सुविधा स्थापित की है, जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे विद्यालयों में प्रवेश की पर्याप्त सुविधा मौजूद है। जो पब्लिक स्कूल के शिक्षा-शुल्क वहन कर सकते हैं, वे ऐसी शिक्षा प्राप्त करते हैं ।

(घ) गैर-सरकारी प्रबंध वाले स्कूलों द्वारा वसूल किए जाने वाले शिक्षा-शुल्कों और अन्य प्रभारों की राशि नियत करने के लिए कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ङ) जी, नहीं। केन्द्रीय, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के विद्यालयों में उपलब्ध प्रचुर शैक्षिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक इस प्रयोजन के लिए आवश्यक नहीं समझी गई है ।

श्री रामजी लाल : माननीय उपसभापति महोदया, माननीय मंत्री जी ने "क" और "ख" का उत्तर दिया है "जी नहीं" । मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या ये सेंट्रल स्कूल जो हैं वे अधिकारीगण और कर्मचारीगण के बच्चों के लिए बनाए गए हैं, जिनका तबादला होता है क्या केवल उनके लिए बनाए गए है ? नीचे उन्होंने जवाब दिया है "सी" के अंदर कि पब्लिक स्कूल जो हैं उनका खर्चा जो वहन कर सकता है, वह उसमें दाखिल हो सकता है । हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि क्या वह बताएंगे कि क्या ग्रामीण जनता के और आम आदमी के बच्चे पढ़ने के लिए कहां जाएं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : आदरणीय उपसभापति महोदया, ये प्रश्न स्कूलों के संचालन का है और मुख्य रूप से ये राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र में आता है। स्कूल या तो सरकार के होते हैं, प्रादेशिक सरकार के और कुछ स्कूल जैसे नवोदय स्कूल या केंद्रीय विद्यालय, इनको भारत सरकार चलाती है और कुछ प्राइवेट संस्थाएं चलाती है । इसमें प्राइवेट संस्थाओं द्वारा चलने वाले जो स्कूल हैं, उन पर नियंत्रण करने की बात कही गई है । मैं समझता हूं कि इस समय प्रादेशिक शासन इन पर जो नियंत्रण अपने नियम बनाकर कर रहे हैं, उसके अलावा यहां से कुछ करना शायद मेरे लिए संभव नहीं होगा ।

श्री रामजी लाल : उपसभापति महोदया, मेरा ख्याल है कि कांस्टीट्यूशन में ऐंट्री 25 के मुताबिक एजुकेशन सेंट्रल लिस्ट में आता है । क्या सब युनियन टैरिटरीज जो हैं उनके लिए यही नियम है ? जैसे मंत्री जी ने कहा कि स्टेट सब्जैक्ट है, मैं इससे सहमत नहीं हूं । मैं आपके द्वारा पूछना चाहूंगा हूं कि इसके समाधान के लिए क्या मंत्री जी विचार करेंगे कि ग्रामीण जनता और आम जनता के लिए इस तरह के सेंट्रल स्कूल खोले जाएं ? दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हिसार जिला सबसे बड़ा जिला हरियाणा में है । वहां पर कैंट भी है । वहां पर अफसरान भी बड़े भारी हैं । तो जब अफसरों की बात होती है तो

यह बात भी ठीक नहीं है कि आज हिसार जिले में कोई सेंट्रल स्कूल नहीं है जब कि 3-4 सेंट्रल स्कूल होने चाहिए। तो यह बात भी उचित नहीं है।

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीया, जहां तक सेंट्रल स्कूल खोलने का प्रश्न है, किसी स्थान पर खोलना है या नहीं खोलना है, उसके कुछ मापदंड होते हैं। जहां तक मुझे जानकारी है हिसार में कैंट में एक सेंट्रल स्कूल है। जहां तक संवैधानिक प्रश्न की बात है, यह सेंट्रल लिस्ट में तो नहीं है लेकिन कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन लाया गया है लेकिन अभी तक इस बारे में कोई भी कानून बना नहीं है और जब तक कोई कानून नहीं बनता है, जब बनेगा तो सभी राज्यों की सरकारों की सहमति से बनेगा, तब तक उसके आधार पर कोई कदम उठाना संभव नहीं है।

श्री रामजी लाल : हिसार में सेंट्रल स्कूल नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : महोदया, सेंट्रल स्कूलों के नियम के अनुसार ही तिब्बत के बच्चों के लिए, तिब्बत से आए हुए जो लोग है उनके बच्चों के लिए स्कूल खोले गए हैं और मेरी जानकारी के अनुसार यहां सेंट्रल स्कूल से ही डेपुटेशन पर कोई सेक्रेटरी या इंचार्ज उसके होते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि जो तिब्बती बच्चों के लिए 20—25 स्कूल देश भर में चलते हैं उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई नियंत्रण नहीं रह सकता, कोई हस्तक्षेप संभव है या नहीं है ? यदि संभव है तो क्या उन्हें जानकारी है कि वर्तमान उसके जो इंचार्ज हैं, सेक्रेटरी, या जो भी उन का पद है वह किस प्रकार से परेशान करते हैं अध्यापकों को, विद्यार्थियों को ? यदि ऐसी जानकारी की आप की क्षमता है तो क्या आप करेंगे ?

श्री अर्जुन सिंह : महोदया, जानकारी पाने की और लेने की क्षमता जरूर है, लेकिन तत्काल आप को उत्तर देने की क्षमता आज नहीं है। मैं जानकारी लेकर आप को उत्तर दूंगा।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : क्षमता है तो जरूर दीजिए। मेरी जानकारी के अनुसार वह जो सज्जन हैं वह पिछले 15 सालों से डेपुटेशन पर हैं जब कि तीन साल का डेपुटेशन होता है।

उपसभापति : माथुर साहब, यह दूसरा सवाल है। मंत्री जी ने कहा है कि वह जानकारी प्राप्त करके आपको सूचना देंगे।

श्रीमती वीणा वर्मा : माननीय मंत्री जी का मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी कि शिक्षा समाज में स्थिरता लाने, सही दिशा देने, समानता लाने और समाज के पुनर्निर्माण करने का बड़ा महत्वपूर्ण साधन है लेकिन आज के समाज में शिक्षा असमानता लाने का सबसे बड़ा साधन बन गई है और शिक्षा आर्थिक शक्ति के बल पर बेची जा रही है। तो शिक्षा सही दिशा में दी जाए, शिक्षा अपने उद्देश्यों की पूर्ति करे इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं। देखा गया कि भारतीय शिक्षक आयोग बना 1964-66 के बीच में, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1967 में बनी, फिर उसका पुनर्गठन किया गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का और सही दिशा में शिक्षा दी जाए, इसके बारे में माननीय मंत्री जी केन्द्रीय स्तर पर क्या करेंगे और अभी जो 13-14 जुलाई को एक उच्च-स्तरीय शिक्षा के बारे में जो मीटिंग हुई थी उस में हमारे सचिव जो मध्य प्रदेश के थे उन्होंने बताया था कि राष्ट्रीय शिक्षा का प्रतिशत 51.11 है जब कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा का प्रतिशत 42.45 है और राष्ट्रीय महिला साक्षरता जो है वह 38.42 परसेंट है और मध्य प्रदेश में 3 करोड़ व्यक्ति इस समय अशिक्षित है और 2.2 करोड़ लोग साक्षर हैं। जितने साक्षर है उससे ज्यादा अभी अशिक्षित हैं और एक बहुत बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश का ट्रायबल है जिसमें...

उपसभापति : यह सवाल जो है यह बड़ा सीमित सवाल है।

We are not discussing the *Shiksha Niti* of the country. We are discussing the specific question on the Central Schools.

आप यह पूछना चाहेंगी कि मध्यप्रदेश में सेंट्रल स्कूल कहां-कहां खुल रहे हैं तो पूछ लीजिए सारी शिक्षा नीति को हम इस सवाल में सीमित नहीं कर सकते। **(व्यवधान)**

श्री रजनी रंजन साहू : माननीय मंत्री जी को मालूम है, मध्य प्रदेश से आते हैं।

उपसभापति : वह बताएंगे इसलिए तो मैं कह रही हूं मध्य प्रदेश का पूछ लें।

श्रीमती वीणा वर्मा : राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत यह साक्षरता का जो प्रतिशत हम बढ़ाते जा रहे हैं महिला साक्षरता उस अनुपात में नहीं बढ़ रही है, इसका खास क्या कारण है ....

उपसभापति : इस का सेंट्रल स्कूल से ताल्लुक है ? मंत्री जी आप जवाब दे सकते है ?

श्री रजनी रंजन साहू : महिलाओं की शिक्षा के बारे में पूछा इसलिए जवाब चाहिए।

उपसभापति : ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पुरुषों को भी शिक्षित होना चाहिए... **(व्यवधान)**

श्री अर्जुन सिंह : उनको ज्यादा शिक्षित होना चाहिए यदि महिलाओं को शिक्षित करना है तो....

उपसभापति : महिलाओं को प्रोटेक्ट करना है तो पुरुषों को शिक्षा देने से हो सकता है ।

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीया, माननीय सदस्या ने जो साक्षरता की स्थिति के बारे में जो राय जाहिर की है, इसमें दो मत नहीं हैं कि उत्तर भारत के कुछ राज्यों में साक्षरता की स्थिति संतोष जनक नहीं है और उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है । इस बात को ध्यान में रखकर ही अब इस वर्ष, अगले वर्ष इन तीन चार राज्यों में साक्षरता के क्षेत्र में एक व्यापक अभियान जो वहां के शासक जो हैं उनके सहयोग से चलाया जा रहा है और हमारा यह अनुमान है कि अगले तीन चार वर्षों में जो पिछड़ापन है साक्षरता के क्षेत्र में उत्तर भारत के इन राज्यों में उस को हम दूर कर सकेंगे, अभी तो मैं इतना ही कह सकता हूं ।

श्री सतीश अग्रवाल : उपसभापति महोदया, मंत्री महोदय ने अभी-अभी इस बात को स्वीकार किया है कि उत्तर भारत के राज्यों में साक्षरता की दृष्टि से स्थिति अच्छी नहीं है । दुर्भाग्य से राजस्थान में राज्य सरकार ने अनेक जिलों में पूर्ण साक्षरता अभियान चलाया हुआ है---सीकर, अजमेर, जैसलमेर ये बार्डर डिस्ट्रिक्टस हैं और 60 प्रतिशत रेगिस्तान इलाका है । आपने जो केन्द्रीय विद्यालय खोले हैं राजधानी में वह माल केवल दो हैं । मैं आप से जानना चाहता हूं कि राजस्थान की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्योंकि यह सीमावर्ती राज्य है, पिछड़ा प्रदेश है आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से और वहां पर बाल विवाह बहुत होते हैं क्योंकि अशिक्षा बहुत ज्यादा है इसलिए इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखते हुए क्या मंत्री महोदय इस बात पर विचार करेंगे ? राजस्थान में 43 परसेंट है, राजस्थान में लगभग 80 परसेंट है और गर्ल्स एजुकेशन 13 परसेंट है तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखते हुए राजस्थान में जयपुर राजधानी में दो से अधिक संख्या बढ़ायेंगे ? जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर ये चार जो डिविजन सेन्टर्स हैं उन में इस प्रकार के केन्द्रीय विद्यालय खोलने का आश्वासन देंगे ?

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीय। उपसभापति महोदया, केन्द्रीय विद्यालय को खोलने का साक्षरता से कोई सीधा संबंध नहीं है यह हमें स्पष्ट समझना चाहिए । जहां तक स्कूल खोलने का प्रश्न है अभी राजस्थान में 44 सेन्ट्रल स्कूल हैं । माननीय सदस्य ने जो संकेत किया है उसको भी ध्यान में रख कर आगे कोशिश की जायेगी ।

श्री सतीश अग्रवाल : धन्यवाद ।

श्री गोविंद राम निरी : उपसभापति महोदया, यह प्रश्न मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि क्या उनको इस बात की जानकारी है कि एक तरफ हम कह रहे हैं शिक्षा अनिवार्य हो और इसके लिए हम करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं साक्षरता अभियान के लिए और दूसरी तरफ ये जो शिक्षा संस्थाएं हैं उनमें केपिटेशन फीस और एजुकेशन फीस की लूट-घसोट जारी है तो क्या यह समझा जाए कि जो फीस दे सकते हैं, जो अमीर हैं उन्हीं के बच्चे शिक्षा प्राप्त करें और जो गरीब हैं खासतौर से जो पिछड़ी जाति के हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं वे शिक्षा से वंचित रहें ? मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इसको रोकने का क्या उपाय कर रहे हैं ?

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीया, माननीय सदस्य का यह कहना है कि इनमें कोई केपिटेशन फीस ली जा रही है इस स्तर के स्कूलों में इसकी जानकारी मैं नहीं समझता अभी कहीं से आई है । मैं यह कह रहा हूं कि एडमिशन फीस, रेगुलर फीस इनमें ज्यादा है । लेकिन मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि हमें यह भी देखना चाहिए कि ऐसे स्कूलों का अनुपात क्या है । प्राइमरी लैवल पर केवल 2.70 प्रतिशत ऐसे स्कूल हैं जो अनएडेड हैं और इसी तरह से अपनी तरफ से इंतजाम करते हैं । मिडिल में 9.25 प्रतिशत हैं, हाई स्कूल सेकेण्डरी स्टेज में 12 प्रतिशत हैं और हायर सेकेण्डरी में 7 प्रतिशत है इस तरह से आप यह देखें कि यह स्थिति नहीं है कि देश में विषमता ही विषमता है और जो अन्य स्कूल हैं उनकी कहीं ज्यादा संख्या है जो प्रादेशिक शासन चलाते हैं और लोग चलाते हैं जिनमें इस तरह की समस्या नहीं है । यह मैंने शुरू में कहा था यह समस्या जो वहां पर है इसका समाधान किस तरह से हो यह केन्द्रीय शासन नहीं निर्धारित कर सकता और-न अकेला कोशिश कर सकता है । अगर प्रादेशिक शासन इस विषय में पहल करना चाहता है तो हम जरूर उनके साथ शामिल होकर विचार करने की कोशिश करेंगे ताकि इस स्थिति को सुधारा जा सके ।

SHRI K. RAHMAN KHAN : Madam Deputy Chairman, in view of the policy of the State Governments to have primary education in State languages, it is now becoming difficult for the linguistic minorities to get education in primary schools. I would like to know whether the Central Government will think of permitting CBSE schools without getting NOCs from States. Madam, States are also not giving NOCs for starting Central syllabus schools in district headquarters. It has become difficult for the linguistic minorities to send their children to State schools.

SHRI ARJUN SINGH : As far as the question of giving affiliation by the CBSB

is concerned, there is a certain proforma under which NOC from the State is a must. I don't know if such a difficulty has arisen somewhere or it is a general situation. I don't think NOC's are being given indiscriminately by the States. If the Hon. Member brings any such incident to my knowledge, I will certainly interact with the State Governments and find out why NOC has not been given.

उपसभापति : श्री जनार्दन यादव । मैं निवेदन करूंगी कि जो सवाल है उसके ताल्लुक से ही आप पूछें । मैं कोशिश कर रही हूं कि जो नये मेंबर सवाल पूछना चाहते हैं, उनको सप्लीमेंटरी सवाल पूछने का मौका दिया जाय ।

श्री जनार्दन यादव : माननीया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बिहार में 52 जिले हैं उनमें 18 जिले छोटा नागपुर और संथाल परगना में हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय की छोटा नागपुर और संथाल परगना के इन 18 जिलों में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की कोई योजना है ? यदि नहीं है तो क्यों ?

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीया, बिहार में अभी 35 केन्द्रीय विद्यालय चल रहें हैं । माननीय सदस्य ने जिस एरिया के लिए संकेत किया है, मैं उसके बारे में अलग से जानकारी लेकर आपको सूचित करूंगा । लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि केन्द्रीय विद्यालय कहां खुलेगा, यह केवल इस पर निर्भर नहीं करता कि वहां पर केन्द्रीय विद्यालय नहीं है । जो इसके लिए मापदंड है उसके अन्तर्गत हम खोल सकते है । वैसे थोड़ा बहुत पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष ध्यान रखा जाता है । लेकिन यह जानकारी मैं आपको अलग से दे दूंगा ।

श्रीमती मालती शर्मा : महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि यह जो सेंट्रल स्कूल हैं, इनमें भी सिफारिशों से बच्चे लिए जाते है और जो कर्मचारी वर्ग है, या छोटे मोटे लोग है उनके बच्चों को वहां स्थान नहीं मिलता । कुछ बस्तियां ऐसी होती हैं जैसा नोएडा है । वहां बड़े-बड़े पब्लिक स्कूल है और वहां बड़े-बड़े लोग अपने बच्चों को फीस देकर उन स्कूलो में पढ़ा सकते हैं । लेकिन इन छोटे लोगों के लिए, इन कर्मचारियों के बच्चों के लिये वहां इतनी लिमिटेड संख्या है कि उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं । मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि छोटे कर्मचारियों के बच्चों के लिये, छोटे लोगो के बच्चों के लिये या तो संख्या के अनुपात से दाखिला दिया जाय या कोई न कोई व्यवस्था उनकी पढ़ाई के लिये की जाय ।

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीया, भर्ती सिफारिश के आधार पर नहीं होती है । हर स्कूल अपने तरीके से अपने क्षेत्र में भर्ती करता है और मैं समझता हूं कि प्रयास यही है कि तमाम कर्मचारियों और खासतौर से लघु कर्मचारियों के बच्चों को ज्यादा प्रवेश दिया जाय । अगर आप नोएडा स्कूल के बारे में जानना चाहती हैं तो मैं जानकारी लेकर सूचित कर सकता हूं कि क्या स्थिति है ।

श्रीराज नाथ सिंह : माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या देश में सभी कमिश्नरी हेडक्वार्टर पर केंद्रीय विद्यालय हैं ? यदि नहीं हैं तो क्या उनको वहां खोले जाने का कोई प्रस्ताव शासन के पास है ?

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीया, हर कमिश्नरी में स्कूल होना या न होना यह फैक्चुअल चीज है । इसका मैं अंदाजे से जवाब नहीं दे सकता हूं । जानकारी लेकर मैं जरूर जवाब दे दूंगा ।

Affairs of Jamia Millia Islamia University

*362 SHRI CHIMANBHAI MEHTA†:
SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY :

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item which appeared in the 'Indian Express of 5th April, 1994, on the affairs of Jamia Millia Islamia University';

(b) if so, whether it is a fact that a nection of students/staff/employees of Jamia Millia Islamia University are preventing the Pro-Vice-Chancellor from entering the University Campus and resume duty just because they disapprove his views on Salman Rushdie's book ;

(c) whether all the students and a section of the teaching staff is involved in preventing Shri Hasan's entry into the University; and

(d) if so, what has been done by Government in the matter ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SEUA) : (a) Yes, Sir.

(b) It is reported that the Pro-Vice-Chancellor has not entered the University Campus after joining his post. Therefore the question of preventing him from entering the Campus does not arise.

† The question was actually asked on the flour of the House by Shri Chimanbhai Mehta.